

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) लूणकरणसर

निर्णय

मिसल नम्बर - 18/2019

दिनांक- 07/6/2019.

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का शिवपुरी ने रिपोर्ट (पी-14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फसल खरीफ सम्वत् 2075 में गैर सायल दोशराम पुत्र श्री शंकरराम जाति गि साकिन शिवपुरी ने ग्राम शिवपुरी के ख0नं0 130 रकबा 0.21.42 में नाजायज शिवपुरी कर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी दोशराम को राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस प्रकरण दर्ज कर जारी किया गया जो कि बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबधित गैर सायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषप्रद नहीं होने के कारण गैर सायल श्री शंकरराम पुत्र श्री शंकरराम जाति गि साकिन शिवपुरी को ग्राम शिवपुरी के ख0नं0 130 रकबा 0.21.42 में अतिचार करने पर राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा भू-राजस्व दर 0.01 का 50 गुणा 0.2 रूपये शास्ति से दण्डित किया जाता है तथा मौके से वेदखली करने के आदेश दिये जाते हैं।

वेदखली बावत संबधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तावान वसूली बावत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बावत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/6/2019 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

3
तहसीलदार (राजस्व)
लूणकरणसर